



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक/1042 /अकादमी/ प्रबंध संकाय/2021
प्रति,

भोपाल, दिनांक सितम्बर 3, 2021
(नवीन महाविद्यालय कालेज कोड -----)

BSSS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES KH-NO
309/290/1/2,325/290,326/290, ASHA NIKETAN CAMPUS
ARERA COLONY, SHSHPURA BHOPAL462016

विषय:- **प्रावधिक अस्थाई संबद्धता** सत्र 2021-22 प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ:- (1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली का पत्र क्रं: **CENTRAL//2021/-22/1-9463006871**
दिनांक 15.7.2021

2 तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र

महोदय,

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक : 03-09-2021 में की गई अनुशंसा एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-15(4) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपतिजी को प्रदत्त अधिकार के तहत अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों में संदर्भित अनुमतियों अनुसार **प्रावधिक अस्थाई संबद्धता**, DTE द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी मान्यता अनुसार सीट संख्या के आधार पर, शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कोरोना प्रकोप समाप्त होने के पश्चात परिणियम 27 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में की अनुशंसाओं को मानने के लिए महाविद्यालय बाध्य होंगे। यदि महाविद्यालय पाठ्यक्रम संचालन हेतु निहित प्रावधानों का पालन नहीं करता है या निरीक्षण समिति की अनुशंसा नकारात्मक होने की स्थिति में जारी की गई प्रावधिक अस्थाई संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

S.No.	Course	Branch / Specialization	Status
01	MBA -FT I (New Course)	MBA -FT I	TEMPORARY
2	MBA -FT I (New Course)	FINANCE	TEMPORARY
	MBA -FT I (New Course)	MARKETING	TEMPORARY

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2022-23 की प्रावधिक अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश कमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 28 एवं ए.आई.सी.टी.ई. के नियमों के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 30.12.2021 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा करता है तो संचालित पाठ्यक्रमों के आगामी सत्र की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ0कमांक/1043/अकादमी/संबद्धता/2021
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक सितम्बर 3, 2021

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भवन भोपाल।
2. सचिव, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल




उप-कुलसचिव, अकादमी

